APP-A
Crim-1

# FORM NO III

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

अपील न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होने से अपील लौटाई
31/8/2018

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी मुकाम अजमेर

सायर पुत्र स्व. श्री करीया जाति मेहरात नि. ग्राम रतनपुरा (खरखरा) फतेहपुरिया रोयम तह. ब्यावर बनाम राउ पुत्र स्व. करीया जाति मेहरात ग्राम रतनपुरा (खरखरा) फतेहपुरिया रोयम तह. ब्यावर व अन्य

किस्म मुकदमा 76 LR Act नम्बर 260 सन् 2018 (ब्यावर) (रतनपुरा खरखरा)

| तारीख पेशी | हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए |
|---|---|---|
| | 2018/00260<br>श्री खड्ग सिंह एड श्री | |
| 31.8.18 | यह अपील श्री खड़ग सिंह एडवोकेट ने विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश दिनांक 27.06.2018 प्रकरण संख्या 27/2017 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश की गई। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील के क्षैत्राधिकार पर अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस सुनी गई।<br>अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रस्तुत अपील उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा पारित नामान्तकरण आदेश के विरूद्ध जिला कलक्टर, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसे जिला कलक्टर, अजमेर ने अपने आदेश दिनांक 27.06.2018 द्वारा खारिज किया हैं जिसके विरूद्ध प्रस्तुत की है। नामान्तकरण आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत द्वितीय अपील का क्षैत्राधिकार न्यायालय हाजा को नही हैं इसलिए प्रस्तुत अपील अभिभाषक अपीलांट को समक्ष न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु लौटाई जावें।<br>**अतः अपील अपीलांट न्यायालय के क्षैत्राधिकार में नहीं होने से अपील अभिभाषक अपीलांट को लौटाई जाती है।** पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।<br>राजस्व अपील प्राधिकारी<br>अजमेर | Noted<br>मूल अपील प्राप्त की<br>25/9/18 |